

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांक— प. (37)प्र.सु./अनु.-3/2019/

जयपुर, दिनांक ०९।१०।२०१९

कार्यालय आदेश

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) के तहत वित्त पोषित हरित कृषि (Green Agriculture) परियोजना का राज्य के जैसलमेर एवं बाडमेर जिले के डेजर्ट नेशनल पार्क तथा आस-पास के क्षेत्र में क्रियान्वयन किया जाना है। हरित कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण तथा जैव विविधता के संरक्षण द्वारा कृषि में वांछित सुधारात्मक परिवर्तन करना है। राज्य स्तर पर परियोजना के संचालन, पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में राज्य परियोजना परिचालन समिति (SPSC) का गठन एतद् द्वारा निम्नानुसार किया जाता है –

1	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, (कृषि)	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	सदस्य
5	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	सदस्य
6	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन	सदस्य
7	प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
8	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स)	सदस्य
9	शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
10	कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	सदस्य
11	आयुक्त कृषि	सदस्य सचिव
12	अध्यक्ष/सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य
13	शासन सचिव/निदेशक, उद्यानिकी	सदस्य
14	आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	सदस्य
15	जिला कलवटर, जैसलमेर व बाडमेर	सदस्य
16	निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI), जोधपुर	सदस्य
17	खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
18	राष्ट्रीय परियोजना प्रबंध इकाई के प्रतिनिधि	सदस्य
19	अन्य मनोनीत-स्वयं सेवी संस्था, विशेषज्ञ	सदस्य

राज्य परियोजना परिचालन समिति (SPSC) जिलों से प्राप्त कार्य योजनाओं का अनुमोदन, क्रियान्वयन की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। समिति का गठन परियोजना अवधि (7 वर्ष) के लिये होगा तथा इस समिति का प्रशासनिक विभाग कृषि विभाग होगा।

FAO REP. OFFICE	
INDIA	
REFERRED TO	NTLS/DATE
	24 OCT 2019
	SCAN

राज्यपाल की आज्ञा से

(अरुण प्रकाश शर्मा)

07-10-19

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (NRM & IC), कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली—110001
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक सुरक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स), राजस्थान सरकार, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
12. निजी सचिव, निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI), जोधपुर।
13. निजी सचिव, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
14. निजी सचिव, अध्यक्ष/सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर।
15. निजी सचिव, आयुक्त, उद्यानिकी, जयपुर।
16. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
17. निजी सचिव, जिला कलक्टर, जैसलमेर / बाडमेर।
18. FAO-India, खाद्य एवं कृषि संगठन, 55 लोधी एस्टेट, नई दिल्ली — 110003।



07-10-19
शासन उप सचिव